

न्यायालय मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर नागौर
पीठासीन अधिकारी-दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या-01/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रामेश्वरलाल पुत्र रामरतन जाति माली निवासी जगदम्बा जनरल स्टोर रोडवेज डीपो के सामने नागौर तहसील व जिला नागौर (राज0)		1. सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली। 2. मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर। 3. प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी नागौर 4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-सीकर, पीपराली सर्किल के पास, प्लॉट नम्बर-187 व 188, विनायक विहार, झून्डुनू बाई पास रोड, सीकर

उपस्थित :-

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री ठाकुर प्रसाद राठी ।
2. अप्रार्थी संख्या-1 से 4 की ओर से वकील श्री कमलेन्द्र सिहाग, श्री राजेश रावल ।
3. अप्रार्थी संख्या-3 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ।

आदेश

दिनांक: 25-4-2019

1-प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 के तहसील नागौर जिला नागौर के कि.मी. 155.600 से कि.मी. 171.450 (सालासर से नागौर सेक्शन) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने/ पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने, पुनःसंरक्षण/बाईपास और चार लेन का बनाने, आदि) के संबंध में पारित अवाई दिनांक 15.12.2016 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21 मध्यस्थ और सूलह अधिनियम 1996 सपटित धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत दिनांक 03.01.2018 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का मध्यस्थता प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2-उभय पक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत मध्यस्थता प्रार्थना में दिये गये तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि-

2(1)-अप्रार्थी संख्या 3 (CALA) के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत प्रार्थी की भूमि अवाप्ति के बदले काला द्वारा पारित अवाई दिनांक 15.12.2016 में निर्धारित प्रतिकर को सही व विधि सम्मत रीति से पुनः निर्धारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2(2)-प्रार्थी की वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ एवं इस्ती रूप में उपयोग व उपभोग की भूमि बाके मौजा नागौर के खसरा नम्बर 559 गौर मुमकिन आबादी में अवस्थित है। चूंकि यह भूमि नगर परिषद नागौर के क्षेत्राधिकार में होने से विधि अनुसार रेकर्ड में मिल्कियत के अधिकार नगर परिषद नागौर के नाम दर्ज अवश्य है। मगर नगर परिषद नागौर ने अपनी मिल्कियत की इस भूमि में से 11.11 वर्गगज भूमि को जरिये लीज डीड पत्रावली संख्या 1/2002-03 दिनांक 19.02.2003 को मुझ प्रार्थी को कर दिया था जिसका पंजीयन दिनांक 19.02.2003 को प्रार्थी के पक्ष में उप पंजीयक कार्यालय नागौर में पंजीबद्ध है।



2(3)—प्रार्थी ने अपने पक्ष में निमित और नगर परिषद नागौर द्वारा विक्रय की गई भूमि पर नगर परिषद नागौर की निर्माण स्वीकृति पत्रावली संख्या 59/2003-2004 दिनांक 4.8.2003 से दुकान के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई थी और इसी स्वीकृति के अनुरूप वाणिज्यिक भूमि राशि का भुगतान करते हुए इस प्रकरण में प्रश्नगत संरचना संख्या 171/आर/5 का निर्माण किया था। निर्माण के पश्चात प्रार्थी अपनी इस व्यवसायिक परिसर का उपयोग व उपभोग एवं इससे होने वाले लाभों को निरन्तर शांतिपूर्ण व निर्बाधित रूप से अर्जित करता आ रहा है।

2(4)—अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा इस प्रकरण में प्रश्नगत अवार्ड दिनांक 15.12.2016 में प्रार्थी को किसी भी रूप में अवार्ड में हितबद्ध नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रार्थी की भूमि अवाप्ति के बदले उसके पक्ष में कोई मुआवजे का निर्धारण नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा ऐसा करना सर्वथा विधि विपरित है। वस्तुतः धारा 3ए के जॉच रिपोर्ट में ऐसा तथ्य समाविष्ट होकर धारा 3डी अधिसूचना में हितबद्ध व्यक्तियों के नाम आने आज्ञापक होते हैं। परिणामतः CALA द्वारा विधि के इन प्रावधानों की अनदेखी की है, जिस कारण अवार्ड शून्य प्रभावी है।

2(5)—CALA द्वारा आक्षेपित निकाय द्वारा प्रस्तुत संरचनाओं की जानकारी को बिना किसी आधार एवं अपनी ओर से स्वतन्त्र जॉच करवाये बगैर मानकर संरचना की कीमत निर्धारण करने में भी भंगकर भूल की है।

2(6)—CALA द्वारा कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 559 की भूमि का मुझ प्रार्थी के स्वामित्व की हद तक कीमत निर्धारण में अवासीय प्रयोजनार्थ डीएलसी रेट के अनुसार कीमत का निर्धारण किया गया है, जो कि गलत है। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा इस भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ प्रीमियम भरके नगर परिषद नागौर की वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ स्वीकृति लेकर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ही निर्माण करवाया था, लिहाजा भूमि की कीमत उसके उपयोग व उपभोग के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ डीएलसी रेट या इस प्रकरण में धारा 3ए के नोटिस प्रकाशन की तिथि दिनांक 28.07.2015 से पूर्व के इसी प्रयोजनार्थ भूमि की विगत 3 वर्षों के विक्रय पत्रों की प्रति वर्गमीटर कीमत अनुसार अवरोही कम में सूची बनाकर उसका आधा कर आधे का औसत से ज्ञात कीमत को एवं इन दोनों प्रकार की कीमत में से ज्ञात कीमत से जो भी अधिक हो, को कीमत निर्धारण में काम में लिया जाना था जो नहीं लिया। अतः नये सिरे से भूमि की कीमत का निर्धारण करवावे।

2(7)—CALA द्वारा भूमि की कीमत का सही निर्धारण नहीं करने तदनुसार गुणक भी गलत होने, संरचना की कीमत का वास्तविक एवं स्वतन्त्र मूल्यांकन नहीं कर निर्धारित कीमत गलत होने एवं प्रार्थी को व्यवसाय की भूमि अवाप्त कर लेने से व्यवसाय बन्द हो जाने से उसको होने वाले उन सालों का मुआवजे में कोई परिलाभ नहीं दिया और ऐसे तथ्यों के अभाव में सोलिसियम एवं अतिरिक्त प्रतिकर का निर्धारण कर दिया, जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित है।

2(8)—अनुसूची प्रथम के अनुसार बाजार मूल्य का निर्धारण धारा 26 में यथाउपबन्धित रूप में अवधारण किया जाना है। यह प्रावधान आज्ञापक है। विद्वान CALA द्वारा अवार्ड दिनांक 15.12.2016 को बाजार मूल्य का निर्धारण 2906.28 वर्गमीटर की गई है, जो गलत गलत रूप से की गई है। क्योंकि CALA द्वारा यह राशि आवासीय मानकर तय की है, जबकि प्रार्थी की भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ है। इस प्रकरण में 3ए की अधिसूचना दिनांक 31.07.2015 को व प्रकाशन दिनांक 27.08.2015 के समय उक्त क्षेत्र में वाणिज्यिक दरे मुख्य सड़क पर 3480/-रूपये प्रति वर्गफुट थी ऐसी स्थिति में CALA द्वारा 2,906.28 वर्गमीटर आकी है, जबकि उस समय की वाणिज्यिक दरे 37,445/-रूपये वर्गमीटर थी। इस प्रकार से CALA ने उक्त दर का आंकलन भी आवासीय मानकर गलत रूप से किया है। इसके अतिरिक्त CALA द्वारा मुझ प्रार्थी की अवाप्त की जाने वाली भूमि की कीमत कितने रूपये बनती है, कें बारे में पृथक कोई मुआवजा राशि का आंकलन नहीं किया है, जबकि पृथक से मुआवजा राशि का आंकलन किया जाना आवश्यक था। ऐसा नहीं करने में CALA ने भारी त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को यह बताना होगा कि मुझ प्रार्थी की कितनी वर्गमीटर भूमि अवाप्त की जा रही है उसी अनुसार मुझ प्रार्थी को मुआवजा राशि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ डीएलसी दर के आधे पर 3480 वर्गफीट जिसके 37,445/-रूपये वर्गमीटर बनती है। जो भूमि अवाप्त की जा रही है उसका लीज डीड, भवन निर्माण स्वीकृति एवं

क्याक्टर, नागौर



अन्य सभी दस्तावेजात वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ थे व है एवं मौके पर उपयोग व उपभोग भी वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा है।

2(9)—भूमि एवं निर्माण से जुड़ी आस्तियों का मूल्य प्रारूप अवार्ड दिनांक 15.12.2016 में निर्धारित रकम पूर्णतया अपूर्ण एवं अपर्याप्त है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी का जो निर्माण तोड़ा जाकर अवाप्त किया जा रहा है उसमें प्रार्थी के दुकान टीन सेड सहित पक्का निर्माण बना हुआ है। जहां पर प्रार्थी द्वारा जगदम्बा जनरल स्टोर के नाम से कारोबार किया जाता है। उक्त निर्माण की कीमत 4,82,000/-सक्षम सिविल इंजीनीयर द्वारा व वेल्यूटर द्वारा आंकी गई है, जिसकी रिपोर्ट आवेदन के साथ पेश की गई है। उक्त राशि प्रार्थी अप्रार्थीगण से पाने का हकदार है, परन्तु CALA ने इस बिन्दू पर घोर नहीं करते हुए उक्त राशि का आंकलन 18,761/-किया है, जो उंट के मुंह में जीरा जितनी है। जो निर्माण कार्य तोड़ा जायेगा उक्त निर्माण कार्य चाहे कितने फीट भी तोड़ा जाय शेष सम्पूर्ण निर्माण कार्य नष्ट हो जाता है। उसका किसी भी प्रकार से कोई उपयोग एवं उपभोग शेष नहीं रहता है। उसकी पूरी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में उक्त सम्पूर्ण निर्माण की राशि के संबंध में मुआवजा प्राप्त करने के प्रार्थी हकदार होता है।

2(10)—प्रार्थी की जो भूमि अवाप्त की जा रही है वहां पर अपने वाणिज्यिक कारोबार कर रहा था, जिससे आय अर्जित करके प्रार्थी अपने व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उक्त जगह पर जहां प्रार्थी अपना भोजनालय व्यवसाय कर रहा था उक्त व्यवसाय उक्त भूमि अवाप्त किये जाने के परिणाम स्वरूप बन्द हो जायेगा। प्रार्थी अपने जमे जमाये व्यवसाय से वंचित हो जायेगा। प्रार्थी को अन्यत्र अपना व्यवसाय स्थापित करना पड़ेगा जिसके लिए प्रार्थी को रूपये 10,00,000/-अतिरिक्त व्यय करने पड़ेगे तथा इस बारे में भी क्षति भी होगी। इस संबंध में CALA द्वारा कोई मुआवजा राशि आंकलित नहीं की है। जबकि ऐसी राशि पाने का प्रार्थी हकदार है।

2(11)—प्रारूप अवार्ड दिनांक 15.12.2016 में बाजार मूल्य का आंकलन पूर्णतया गलत रूप से किया है। उक्त प्रकरण में भूमि एवं उससे जुड़ी निर्माण आस्तियों एवं पुनः व्यापार करने को लेकर होने वाले अतिरिक्त व्यय आदि का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाकर उक्त बाजार मूल्य से आने वाली प्रतिकर राशि के शत प्रतिशत तोषण निर्धारित किया जाकर प्रार्थी को दिलवाया जाना उचित है।

2(12)—अधिनियम 2013 की धारा 30(3) के अनुसार धारा 26 के अधीन उपबन्धित भूमि, निर्माण एवं अन्यत्र व्यापार को लेकर होने वाली क्षति के बाजार मूल्य के अतिरिक्त CALA प्रत्येक मामले में उस भूमि की बाबत ऐसे बाजार मूल्य पर धारा 4 की उप धारा 2 के अधीन सामाजिक क्षमाघात निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही प्रारम्भ होने वाली ओर CALA के निर्णय की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त प्रतिकर देय होगा। इस बारे में CALA द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

2(13)—कब्जा लेने की दिनांक से प्रतिकर मुगलान तक सम्पूर्ण अवार्ड राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज दिलाया जाने आदि का कथन करते हुए वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को उपरोक्तानुसार मुआवजा राशि, तोषण राशि, ब्याज एवं अन्य प्रतिकर अप्रार्थीगण से दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. वकील अप्रार्थीगण (अप्रार्थी संख्या-1 से 4) ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुये अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब में किये गये कथनों को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि-

3(1)—सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली में व्यापक लोक हित को देखते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के 155.600 किलोमीटर से 171.450 किलोमीटर तक के भूखण्ड (सालासर से नागौर सैक्शन) के निर्माण चौड़ा करने (पेल्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने, पुनः संरेखण/बाईपास और चार लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु उपखण्ड अधिकारी नागौर को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। अधिनियम की धारा 3ए की उप धारा 1 के तहत सड़क निर्माण में प्रयुक्त होने वाली भूमि को अवाप्त करने के लिए


कंसप्टर, नागौर



अधिसूचना दिनांक 31.07.2015 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी की गई जिसे दैनिक समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका एवं टाईम्स ऑफ इण्डिया में 27.08.2015 को प्रकाशित करवाया गया। धारा 3सी(1) के अन्तर्गत प्रत्येक हितधारी व्यक्ति जिसकी कि भूमि अर्जित की गई उसको आपत्तिया 21 दिन के अन्दर दर्ज करवाने का अवसर दिया गया। इसके अन्तर्गत आपत्तिकर्ता स्वयं या अपने प्लीडर के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उक्त अधिसूचना दिनांक 31.07.2015 के परिपेक्ष्य में जो आपत्ति निश्चित समय प्रस्तुत की गई उनको अनुज्ञात कर लिया गया। इसके पश्चात संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3डी(1) के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गई, जिसके आधार पर दिनांक 17.02.2016 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 3डी के तहत अधिसूचना जारी की गई, उक्त अधिसूचना का दो स्थानीय समाचार पत्रों टाईम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 31.03.2016 एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 01.04.2016 को प्रकाशन करवाया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूचित में विनिदिष्ट भूमि सभी विल्लगनों से मुक्त होकर अल्पन्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी।

3(2)—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया व अधिनियम की धारा 3जी (7) में दिये गये निर्देशों की पालना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त सुदा भूमि की मुआवजा राशि की गणना उप पंजीयक सीकर से प्राप्त कर निर्धारित डी.एल.सी. दर के आधार पर RFCTLARR Act 2013 की धारा 26 के अनुसार किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजा का निर्धारण राजस्थान सरकार के बैसिक शिडयूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया।

3(3)—सक्षम प्राधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 559 मौजा नागौर में बने संरचनाओं का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर निर्धारित दर के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया जिसके अनुसार कुल मुआवजा राशि जिसमें की भूमि का बाजार मूल्य, भूमि पर उपस्थित संरचनाओं का मूल्य कुल बाजार मूल्य पर 100 प्रतिशत सोलेशियम राश एवं 426 दिवस का 12 प्रतिशत वार्षिक दर से अतिरिक्त मुआवजा राशि जोड़कर खसरा संख्या 559 वाके मौजा ग्राम नागौर हेतु कुल 13711651/-रूपये का मुआवजा राशि का अवार्ड जारी किया है।

3(4)—प्रार्थी द्वारा यह कहा गया है कि उसकी भूमि खसरा नम्बर 559 वाके मौजा नागौर जो कि गैर मुमकिन आवादी भूमि है, में स्थित है, जिसका उसके कथनानुसार लीजडीड पत्रावली संख्या 1/2002-03 दिनांक 19.02.2003 के द्वारा उसके पक्ष में नगर परिषद नागौर द्वारा जारी किया गया है। उक्त भूमि पर प्रार्थी के कथनानुसार उसके स्वयं के द्वारा निर्माण की अनुमति लेकर, अनुमति के विपरित निर्माण कार्य करवाया गया है। नगर परिषद नागौर द्वारा खसरा नम्बर 559 में से कुछ भूमि का आवंटन जो कि कुल 11.11 वर्गगज भूमि है, का आवंटन प्रार्थी को किया जाना प्रार्थी द्वारा कथित किया गया है। उक्त भूमि गैर मुमकिन आवादी की भूमि है, जिसका अन्य किसी प्रकार से उपयोग कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। प्रार्थी इसके विपरित व्यवसायिक दर से भूमि का मुआवजा मांग रहा है, जो कि आवंटन पत्र के विपरित है।

3(5)—प्रार्थी द्वारा यह मिथ्या कथन किया गया है कि नगर परिषद नागौर की निर्माण स्वीकृति से दुकान का निर्माण किया गया है। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि गैर मुमकिन आवादी किस्म की भूमि थी उसकी विधि अनुसार रूपान्तरण किये बिना किसी अन्य रूप में उपयोग विधि समर्थित नहीं हो सकता तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे भूखण्ड का व्यवसायिक दर से मुआवजा किसी भी परिस्थिति में देय नहीं हो सकता।

3(6)—राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 559 गैर मुमकिन आवादी भूमि किस्म में दर्ज होकर सरकारी भूमि बताते हुए नगर पालिका मण्डल नागौर द्वारा भूमि स्वागी के तौर पर दर्ज है। उसी अनुरूप मुआवजा अवार्ड आदेश नगर पालिका मण्डल नागौर के पक्ष में जारी किया है। प्रार्थी को मुआवजा हेतु यदि कोई उज्र करना है तो वह अपने हिसरे की भूमि के मुआवजे हेतु नगर पालिका मण्डल

59
नागौर



नागौर के समक्ष प्रस्तुत होकर अवाप्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निर्धारण एवं निस्तारण नगर पालिका मण्डल नागौर के द्वारा ही किया जावेगा एवं इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या विवाद होने की स्थिति में प्रार्थी सक्षम न्यायालय के सक्षम वाद प्रस्तुत करने हेतु भी स्वतंत्र है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा आदेश दिनांक 15.12.2016 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है।

3(7)—सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तिधीन भूमि का सम्पूर्ण सर्वे करवाने के पश्चात उसमें उपस्थित संरचनाओं, निर्माणों एवं पेड पौधों का भी सर्वे किया गया एवं रिकार्ड बनाया गया है। अवाप्त भूमि में उपस्थित ऐसी संरचनाओं एवं निर्माणों का मूल्यांकन राजकीय दरों के आधार पर सक्षम अधिकारियों एवं एजेन्सियों से निष्पक्ष रूप से करवाया गया है। इन संरचनाओं के निर्माण का मूल्यांकन स्वतंत्र प्रभार के अधिकारियों एवं एजेन्सियों की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नहीं की गई है।

3(8)—सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने अवार्ड आदेश दिनांक 15.12.2016 में स्पष्ट कथन किया है कि अवाप्त की गई भूमि का मूल्य निर्धारण उप पंजीयक नागौर से प्राप्त अवाप्ताधीन भूमि के ग्राम की डीएलसी दर व उस ग्राम के निकट ग्राम के गत तीन वर्षों के विक्रय लेखपत्र व इकरारनामों की औसत में से अधिक दर से मार्केट वैल्यू ऑफ लेण्ड का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में जांच करने पर सक्षम अधिकारी को सब रजिस्ट्रार नागौर द्वारा अवगत कराया गया है कि डीएलसी दर के आधार पर ही भूमि का कय विक्रय होता है एवं उसी अनुरूप RFCTLARR Act 2013 की धारा 26ए के तहत डीएलसी दर को स्वीकार करना उचित पाते हुये उसी आधार पर अवाप्त भूमि की प्रचलित बाजार दर तय की गई है। उक्त प्रकार से किये गये मूल्य निर्धारण में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है एवं प्रार्थी द्वारा भी अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से अधिक प्रचलित बाजार मूल्य की दर को समर्थन देता हो।

3(9)—प्रार्थी द्वारा भूमि की कीमत का सही निर्धारण नहीं करना, गलत गुणक का उपयोग करना, संरचना की कीमत का सही मूल्यांकन नहीं करना एवं व्यवसायिक भूमि को अवाप्त कर आवासीय दर से मुआवजे को चुनौति दी है। जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त विन्दुओं पर समुचित रूप से उल्लेख अपने अवार्ड आदेश दिनांक 15.12.2016 में स्पष्ट रूप से किया है। सक्षम प्राधिकारी का उक्त मुआवजा आदेश न्यायपूर्ण एवं विस्तृत है।

3(10)—प्रार्थी को जो भूमि आवंटित की गई थी वह आवासीय प्रयोजनार्थ की भूमि थी। प्रार्थी को निर्माण स्वीकृति भी आवासीय प्रयोजनार्थ दी गई थी, जिसकी पुष्टि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से होती है। आवासीय प्रयोजनार्थ ली गई भूमि का अब प्रार्थी मिथ्या कथन करते हुए स्वयं द्वारा किये गये गैर कानूनी कृत्यों के आधार पर व्यवसायिक दर से मुआवजे की मांग कर रहा है, जो कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज प्रार्थी के कथन के विपरीत स्पष्ट रूप से आवासीय प्रयोजनार्थ के हैं।

3(11)—सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि में उपस्थित समस्त संरचनाओं एवं निर्माण का सर्वे करवाये जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बैसिक शिड्यूल ऑफ रेट के अनुसार उक्त संरचनाओं का मूल्य निर्धारण किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वैल्यूवेशन उसके निजी वैल्यूवर द्वारा दी गई है, जो कि स्वीकार्य नहीं है एवं जिसमें निर्माण की कीमत को आंकने का कोई आधार ही नहीं दिया गया है। जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बैसिक शिड्यूल ऑफ रेट को आधार बनाते हुये निर्माण एवं संरचनाओं का मूल्यांकन अनुमोदित किया है एवं मात्र अवाप्त भूमि पर उपस्थित संरचनाओं का ही मूल्य निर्धारण किया गया है। अवाप्ति से मुक्त भूमि पर उपस्थित स्वतंत्र संरचनाओं के मूल्यांकन किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होने से उनका मूल्यांकन नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा निजी प्रभाव से निजी लाभ हेतु बनवाई गई मूल्यांकन रिपोर्ट की कोई अहमित नहीं है।

3(12)—प्रार्थी अपने कथनों के अनुसार यह स्पष्ट करने में असफल रहा है कि उसकी कुल भूमि में से कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उक्त अधिग्रहण से भूमि में उपस्थित संरचनाओं को

K.
नागौर



कितना नुकसान पहुँचा है एवं उससे प्रार्थी के व्यवसाय को कितना नुकसान हुआ है, यह भी प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। चूँकि उक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ थी एवं उस पर स्थित भवन भी आवासीय प्रयोजनार्थ था, उसी अनुरूप प्रार्थी की अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा आदेश निर्धारण किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है।

3(13)—सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों का अवलोकन करते हुए मुआवजा अवार्ड आदेश दिनांक 15.12.2016 की घोषणा की गई है, जिसमें आज्ञापक एवं कानूनी प्रावधानों की पालना की गई है। अवाप्त भूमि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा उप पंजीयक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसके विपरित प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि उसके कथनों का समर्थन करता हो।

3(14)—अवाप्त भूमि हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड में स्पष्ट रूप से RFCTLARR Act 2013 की धारा 26 की अनुपालना में 100 प्रतिशत सोलेशियम का प्रावधान दिया गया है एवं उसी अनुरूप निर्धारित बाजार मूल्य पर 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि भी प्रदान की गई है एवं धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 27.08.2015 से अवार्ड घोषणा दिनांक 15.12.2016 तक 476 दिवस का 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज अतिरिक्त मुआवजा राशि के रूप में दी गई है। प्रार्थी अन्य किसी प्रकार के लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने का कथन करते हुए वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

4—राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने भी अप्रार्थी संख्या-4 की ओर से बहस की एवं बहस में कथन किया की मौजा नागौर के खसरा नं. 559 राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन आबादी नगरपालिका नागौर के नाम दर्ज होने से खसरा नं. 559 में अवाप्त भूमि 630 वर्गमी. का अवार्ड नगरपालिका नागौर के नाम से बनाया गया है। जो निर्धारित विधिक प्रावधान व नियमानुसार है। जिसका प्रकरण सं. 260 है।

4(1)—अवाप्त भूमि में स्थित संरचना का सर्वे एवं मूल्यांकन रिपोर्ट परियोजना सलाहकार मैसर्स एई. कॉम से करवाया जाकर मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2016/1649 दिनांक 21.10.2016 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नागौर द्वारा गठित कमेटी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार संनिर्माण का सत्यापन करवाकर मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया जिसका उल्लेख जारी अवार्ड दिनांक 15.12.2016 के पैरा 2 में है। संरचना प्रकरण सं. 171/आर/5 का मुआवजा निर्धारित दर से बनाया गया है।

4(2)—अवार्ड दिनांक 15.12.2016 के पैरा 1 के अनुसार उप पंजीयक नागौर से अवाप्त भूमि की डीएलसी दर जो अधिसूचना दिनांक 27.08.2015 को प्रभावी है। ली गयी डीएलसी दर दिनांक 01.10.2014 से प्रभावी है। डीएलसी दर को आधार मानते हुए अवाप्त भूमि की प्रचलित बाजार दर आवासीय भूमि की मार्केट वेल्यू 2906.28 ₹. प्रति वर्गमी. तय की गयी है। रेकार्ड अनुसार खसरा नं. 559 की भूमि गैर मुमकिन आबादी होने से आबादी भूमि की दर से मुआवजा दिया गया है।

4(3)—उप पंजीयक नागौर से अवाप्त भूमि की डीएलसी दर जो अधिसूचना दिनांक 27.08.2015 को प्रभावी है ली गयी। यह दर दिनांक 01.10.2014 से प्रभावी है। भूमि की कय-विकय करने का रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार नागौर पंजिबद्ध करता है। पृच्छाछ करने पर अवगत करवाया कि डीएलसी दर के आधार पर ही भूमि का कय विकय होता है। तथा इसकी दर से स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जाती है। RFCTLARR Act 2013 की धारा 26(क) के तहत डीएलसी दर को स्वीकार कर इसी को आधार मानते हुए एवं इस कार्यालय द्वारा अवाप्त की जा रही भूमि का मूल्य निर्धारण उप पंजीयक नागौर से ग्राम की डीएलसी दर व उस ग्राम के निकट ग्राम के 3 वर्षों के विक्रय लेख पत्र व इकरारनामों की औसत में से अधिक दर से मार्केट वेल्यू ऑफ लेण्ड का निर्धारण किया है। नागौर में खसरा नं. 559 रेकार्ड के अनुसार गैरमुमकिन आबादी दर्ज है। अतः आबादी भूमि की प्रचलित बाजार दर 2906.28 प्रति वर्गमी. तय की गयी है।

4(4)—कारोबार समाप्त होने के कारण नया कारोबार करने हेतु हुई क्षति की मुआवजा राशि प्रार्थी पाने का हकदार होने को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है। परन्तु ऐसी कोई क्षति नहीं होने के कारण अतिरिक्त मुआवजा देय नहीं है।

4(5)—तोषण का निर्धारण अवार्ड के पैरा सं. 1(1) अनुसार भूमि की कीमत, सनिमार्ण की राशि के बराबर 100 प्रतिशत राशि जोड़ते हुए निर्धारित की है जो नियमानुसार है। अतिरिक्त प्रतिकर अधिनियम 2013 में निर्धारित मापदण्ड अनुसार गुणक 1.00 प्रति दर से अतिरिक्त प्रतिकर दिया


कलक्टर, नागौर



गया है। विधि के अनुसार अवाप्त भूमि की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 27.08.2015 से अवाप्त घोषणा दिनांक 15.12.2016 तक 476 दिन का अतिरिक्त मुआवजा व्याज 12 प्रतिशत दिया गया है। जो अवाप्त के पैरा 3 में अंकित है।

4(6)—हस्तगत प्रकरण में पारित अवाप्त राशि दिनांक 15.12.2016 में निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। खसरा नं. 559 करवा नागौर की अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में हितबद्ध की सूचना आयुक्त नगर पालिका नागौर से भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नागौर के पत्रांक भूमि अवाप्ति/2017/208 दिनांक 02.11.2017 एवं पत्रांक 215 दिनांक 27.11.2017 एवं पत्रांक 253-54 दिनांक 31.01.2018 द्वारा चाही गयी है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर अवाप्त सुदा भूमि से सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्ति को मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अथवा उक्त अवाप्त सुदा भूमि से हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भूमि स्वामित्व का दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्ति को भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

5—वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार -

5(1)—राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 (सालासर-नागौर) के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना संख्या-का.आ.2088(अ) दिनांक 31.07.2015 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत जारी हुई है। जिस पर धारा 3जी के तहत मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा सम्पादित करते हुए अवाप्त दिनांक 15.12.2016 को जारी किया गया है। इस अवाप्त के तहत नागौर के खसरा नम्बर 559 सरकारी में से 0.0630 हैक्टर गैर मुमकिन आबादी की अधिग्रहित भूमि एवं संरचनाओं का कुल मुआवजा राशि 13711651/-रूपये अवाप्त राजस्व रेकॉर्ड में अवाप्तशुदा भूमि नगर पालिका मण्डल नागौर के नाम होने से नगर पालिका मण्डल नागौर के पक्ष में पारित किया गया।

5(2)—वकील प्रार्थी द्वारा मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व उन्हें सुनवाई व सवूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने का कथन किया गया है, जबकि हस्तगत प्रकरण में अवाप्त भूमि के संबंध में अवाप्त दिनांक 15.12.2016 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 31.07.2015 का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दी टाइम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 27.08.2015 में विधिवत प्रकाशन किया गया। उक्त अधिसूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन के बाद प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार कर आपेक्षों का अननुज्ञात कर दिया। मगर तत्समय प्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तत्पश्चात् धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 17.02.2016 का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 01.04.2016 एवं दी टाइम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 31.03.2016 तथा एक विज्ञापित प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा क्रमांक-218 दिनांक 13.03.2016 को जारी कर अवाप्ताधीन भूमि के हितधारकों की दावा/आपत्तियां 21 दिन के अन्तर्गत आगन्त्रित की गयी। इस के संबंध में जो आपत्तियां/दावे प्राप्त हुए उनका निस्तारण कर दिया गया, परन्तु उक्त निर्धारित अवधि में प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई हो, के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए प्रार्थी का कथन की उसे साक्ष्य, सुनवाई आदि का अवसर प्रदान नहीं किया गया, विश्वसीय प्रतीत नहीं होता।

5(3)—हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ डी.एल.सी. दर 37445/-रूपये वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित करने को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि की किरम गैर मुमकिन आबादी की होने से तदनुसार गैर मुमकिन आबादी की भूमि की डी.एल.सी. दर से मुआवजा का निर्धारण किया गया है। वकील प्रार्थी ने अवाप्तशुदा भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ डी.एल.सी. दर से मुआवजा का निर्धारण करने के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, ऐसी स्थिति में अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा का निर्धारण वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ डी.एल.सी. दर के आधार पर निर्धारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है।


वकील, नागौर



भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त की जा रही भूमि का मूल्य निर्धारण उप पंजीयक नागौर से प्राप्त अवाप्त की जा रही भूमि के ग्राम की डी.एल.सी. दर व उस ग्राम के निकट ग्राम के तीन वर्षों के विक्रय लेख पत्र व इकरारनामों की औसत में से अधिक दर से मार्केट वेल्यू ऑफ लैंड का निर्धारण किया है। उप पंजीयक नागौर से अवाप्त भूमि के संबंध में डी.एल.सी. दर जो अधिसूचना दिनांक 27.8.2015 को प्रभावी है, ली गई उक्त डी.एल.सी. दर दिनांक 01.10.2014 से प्रभावी है। भूमि के क्रय-विक्रय करने का रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार, नागौर द्वारा पंजीबद्ध करने से सब रजिस्ट्रार से इस संबंध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा डी.एल.सी. दर के आधार पर ही भूमि का क्रय-विक्रय होना तथा इसकी दर से स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जाना अवगत करवाया। RFCTLARR Act 2013 की धारा 26 a,b,c में उल्लेखित प्रावधानों में से धारा 26(a) के तहत डी.एल.सी. दर को स्वीकार करना उचित पाया। क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी इण्डियन स्टेम्प एक्ट 1899 के अनुसार क्रय-विक्रय के पंजीयन पर उप पंजीयक नागौर डी.एल.सी. के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क चार्ज करता है। इसलिए डी.एल.सी. दर को आधार मानते हुए अवाप्त भूमि के ग्रामों की प्रचलित बाजार दर (मार्केट वेल्यू) तय की गई है।

5(4)—हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत भूमि पर स्थित प्रार्थी की दुकान व हाल व गोदाम का पक्का निर्माण बना है, जिसकी कीमत 4,82,000/-सिविल इंजीनीयर व वेल्डर द्वारा आंकी जाकर सम्पूर्ण निर्माण की राशि अप्रार्थीगण से दिलाये जाने को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा अपने निजी वेल्डर से संरचनाओं का मूल्यांकन करवाया गया है, उसे स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त अवाप्तशुदा भूमि में स्थित संरचना का ही नियमानुसार मुआवजा निर्धारण किया जा सकता है, जो संरचना अवाप्तशुदा भूमि में स्थित नहीं है, उस संरचना का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि में स्थित संरचना का सर्वे एवं मूल्यांकन रिपोर्ट परियोजना सलाहकार मैरर्स ई.ई.कॉम से करवाया जाकर मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा उनके पत्रांक राजस्व/2016/1649 दिनांक 21.10.2016 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त नागौर को उक्त मूल्यांकन रिपोर्टों के सत्यापन हेतु लिखा गया। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा गठित कमेटी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सन्निर्माण का सत्यापन करवाकर मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया। जिसका उल्लेख जारी अवार्ड दिनांक 15.12.2016 के पृष्ठ संख्या-3 के पैरा II. में है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि में पाई गई संरचना के मुआवजे का नियमानुसार अवार्ड में निर्धारण किया गया है।

5(5)—प्रश्नगत भूमि पर जहां पर प्रार्थी भोजनालय व्यवसाय कर रहा था, उक्त भूमि अवाप्त किये जाने से प्रार्थी का व्यवसाय बन्द हो जाने एवं अन्यत्र व्यवसाय स्थापित करने हेतु 10,00,000/-रूपये का मुआवजा अप्रार्थीगण से दिलाये जाने को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है। उक्त संबंध में वकील प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे यह साबित हो की प्रार्थी की सम्पूर्ण भूमि अवाप्त कर ली गई, जिससे उसके पास अब व्यवसाय हेतु उक्त स्थान पर कोई भूमि नहीं रही है एवं उसका व्यवसाय बन्द हो चुका है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकार का मुआवजा किस नियम, अधिनियम, परिपत्र आदि के तहत किस प्रकार से एवं कितनी राशि का प्रार्थी को देय है, यह भी प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में यह पूर्णतया साबित नहीं है, कि उक्त अवाप्ति से प्रार्थी का व्यवसाय बन्द हो चुका है।

5(6)—हस्तगत प्रकरण में नियमानुसार तोषण राशि का निर्धारण अवार्ड के पैरा सं. 1(1) अनुसार भूमि की कीमत, सन्निर्माण की राशि के बराबर 100 प्रतिशत राशि जोड़ते हुए निर्धारित की है। अतिरिक्त प्रतिकर अधिनियम 2013 में निर्धारित मापदण्ड अनुसार गुणक 1.00 प्रति दर से अतिरिक्त प्रतिकर दिया गया है। विधि के अनुसार अवाप्त भूमि की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 27.08.2015 से अवार्ड घोषणा दिनांक 15.12.2016 तक अतिरिक्त मुआवजा ब्याज 12 प्रतिशत दिया गया है, जो अवार्ड के पृष्ठ संख्या-3 के पैरा III. में उल्लेखित है। इस प्रकार नियमानुसार अवार्ड में देय राशि की गणना साथ में की जा चुकी है।


कमलेश्वर, नागौर



5(7)- भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में हितबद्ध व्यक्ति के निर्धारण का क्षेत्राधिकार मध्यस्थ न्यायालय को नहीं है। उक्त संबंध में राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा द्वारा अवगत करवाया गया कि हस्तगत प्रकरण में पारित अवार्ड राशि दिनांक 15.12.2016 में निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। खसरा नं. 559 करबा नागौर की अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में हितबद्ध की सूचना आयुक्त नगर पालिका नागौर से प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी नागौर के पत्रांक भूमि अवाप्ति/2017/208 दिनांक 02.11.2017 एवं पत्रांक 215 दिनांक 27.11.2017 एवं पत्रांक 253-54 दिनांक 31.01.2018 द्वारा चाही गयी है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर अवाप्त सुदा भूमि से सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्ति को मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अथवा उक्त अवाप्त सुदा भूमि से हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भूमि स्वामित्व का दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्ति को भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

6-उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र टोस आधारों पर नहीं होने के आधार पर खारिज किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 15.12.2016 को यथावत रखा जाता है।



(दिनेश कुमार यादव)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
नागौर